न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल बिश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 24 / 2020
3. उनवान : सरकार जरिये अभिषेक कुमार सिंह, प्रवर्तन निरीक्षक

बनाम

श्री रामकुंवार पुत्र श्री हरदेव मीणा, निवासी ढाणी बाढाली, ग्राम भाबरु तहसील विराट नगर जिला जयपुर पुलिस थाना शाहपुरा।

4. निर्णय दिनांक : 18 / 08 / 2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, उपखण्ड शाहपुरा जिला जयपुर श्री अभिषेक कुमार सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 12.12.2015 को पुलिस थाना शाहपुरा, जिला जयपुर द्वारा सूचना पर नीझर मोड एन0एच0 8 के पास, माली के ढाबा पर रामकुवार पुत्र हरदेव मीणा के कब्जे में पांच ड्रम बडे अवैध डीजल के भरे हुये है जो गैर कानूनी है। उक्त अवैध डीजल के भरे हुये ड्रमों को जब्त कर शाहपुरा थाने लाया गया। तदुपरान्त सूचना मिलने प्रार्थी द्वारा मय जांच दल के थाने पंहुच कर जब्त सामान की जांच की। वहां डीजल भरे हुये 5 ड्रम में मिले। दौराने जांच अप्रार्थी रामकुवार ने उक्त डीजल से भरे ड्रमों को स्वयं का बताया। पूछताछ में बताया कि यह डीजल वह ढाबे पर आने वाले वाहन चालकों से खरीदता है और गांव के लोगों को दे देता है। मौके पर ड्रमों की माप तौल करने पर तीन लोहे के बडे ड्रमों व दो प्लास्टिक के बडे ड्रमों में कुल 1010 लीटर डीजल मिला। उक्त डीजल के संबंध में अप्रार्थी ने कोई वैध दस्तावेज, खरीद–बेचान के बिल व लाइसेंस प्रस्तुत नहीं किया। ऐसी स्थिति में नमूने के लेने के पश्चात शेष 1007.50 लीटर डीजल मय पांच बडे ड्रम को जब्त किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र, फर्द मौका, फर्द अभिग्रहण व सुपुर्दगीनामा की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त वस्तुओं को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस भेजे गये जो बाद तामील प्राप्त नहीं हुये। अप्रार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस भी जारी किये गये जो कि 1 माह से अधिक समय बाद भी प्राप्त नहीं हुये। अप्रार्थीगण अनुपस्थित। बारम्बार आवाज लिलाई गयी बावजूद अनुपस्थित। अप्रार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। पश्चात पत्रावली दिनांक 18 / 08 / 2025 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दिनांक 12.12.2015 को पुलिस थाना शाहपुरा, जिला जयपुर द्वारा सूचना पर नीझर मोड एन0एच0 8 के पास, माली के ढाबा पर रामकुवार पुत्र हरदेव मीणा के कब्जे में

पांच बडे ड्रमों में कुल 1010 लीटर डीजल भरा मिला। जिन्हें जब्त कर शाहपुरा थाने लाया गया। दौराने जांच अप्रार्थी रामकुवार ने उक्त डीजल से भरे ड्रमों को स्वयं का बताया। पूछताछ में बताया कि यह डीजल वह ढाबे पर आने वाले वाहन चालकों से खरीदता है और गांव के लोगों को दे देता है। अप्रार्थी द्वारा उक्त जब्त डीजल के संबंध में कोई वैध क्रय विक्रय के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं किये साथ ही उक्त डीजल किससे खरीदा तथा किसको बेचा जाना है की स्थिति भी संदिग्ध प्रतीत होती है। अप्रार्थी द्वारा जब्त डीजल की वैधता के संबंध में मौके पर और आदिनांक तक कोई साक्ष्य सबूत उपलब्ध नहीं करवाये गये तथा कोई सन्तोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी जब्त डीजल के संबंध में कोई क्लेम आज तक पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थी के कब्जे में 1000 लीटर से अधिक डीजल होना राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन एव नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 15 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा जब्तशुदा 1007.50 लीटर डीजल (नमूने लेने के पश्चात) मय लोहे के 3 बडे ड्रम व 2 प्लास्टिक के बडे ड्रम को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, जयपुर द्वितीय को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त सामग्री को नियमानुसार अन्तिम निस्तारण किया जाकर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **18/08/2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Court to the Addl. Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

अति. जिला कलक्टर (तृतीय) जयपुर